सेवानिवृत्त कार्मिकों को निर्धारित मानदेय पर रखे जाने हेतु मानक तथा नियम व शर्ते।

क्रम	पदनाम व संख्या	पद हेतु निर्धारित योग्यता	प्रस्तावित मासिक मानदेय	अन्य विवरण
1.	अवर अभियन्ता–सिविल (साक्षात्कार के आधार पर) **संख्या–02**	1. केन्द्र/राज्य सरकार के किसी विभाग/स्थानीय निकाय/विकास प्राधिकरण से अवर अभियन्ता (सिविल) के पद से सेवानिवृत्त कार्मिक। 2. अवर अभियन्ता (सिविल) के पद पर न्यूनतम 05 वर्षो तक निरन्तर रूप से कार्य किया हो। 3. निर्माण/विकास कार्यो का निर्धारित ड्रॉईंग एवं मानको के अनुसार साईट पर्यवेक्षण किया गया है। 4. बी.आई.एस., एन.बी.सी, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा आवास अधिनियम–1973 का ज्ञान होना चाहिए। 5. एम.एस. ऑफिस, ई.एम.वी. तथा आगणन तैयार करने सम्बन्धी समस्त कार्यो का अनुभव होना चाहिए।	पुनर्योजन हेतु शासनादेशानुसार नियत मानदेय	आयु सीमा– अधिकतम 65 वर्ष
2.	लेखाकार (साक्षात्कार के आधार पर) **संख्या–01**	1. केन्द्र/राज्य सरकार के किसी विभाग/स्थानीय निकाय/विकास प्राधिकरण से लेखाकार के पद से सेवानिवृत्त कार्मिक। 2. लेखाकार के पद पर न्यूनतम 05 वर्षो तक निरन्तर रूप से कार्य किया हो। 3. लेखानुभाग के अन्तर्गत, बजट, वेतन बिलिंग, बैलंस शीट, इत्याादि के सम्बन्ध में पूर्ण अनुभव होना चाहिए।	पुनर्योजन हेतु शासनादेशानुसार नियत मानदेय	आयु सीमा– अधिकतम 65 वर्ष

3.	कनिष्ठ लिपिक (साक्षात्कार के आधार पर) **संख्या–01**	1. केन्द्र/राज्य सरकार के किसी विभाग/स्थानीय निकाय/विकास प्राधिकरण से न्यूनतम कनिष्ठ लिपिक के पद से सेवानिवृत्त कार्मिक। 2. किसी भी सरकारी विभाग में विभिन्न अनुभागो में लिपिकीय कार्यो का न्यूनतम 05 वर्षो का अनुभव होना अनिवार्य है।	पुनर्योजन हेतु शासनादेशानुसार नियत मानदेय	आयु सीमा– अधिकतम 65 वर्ष

उपरोक्त कार्मिको को पुनर्योजित किये जाने हेतु निम्न प्रकार नियम व शर्तें निर्धारित की जाती है–

(1) उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उपरोक्त वर्णित मानदेय के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का भत्ता, प्रतिपूर्ति अथवा अन्य कोई फंड देय नहीं होगा तथा इस सबंध में कोई भी दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

(2) उक्त पुनर्योजित कार्मिको को प्राधिकरण की आवश्यकता के दृष्टिगत रखा जा रहा है। यदि भविष्य में आवश्यकता नहीं होगी अथवा पद के सापेक्ष किसी कार्मिक की नियुक्ति शासन द्वारा की जाती है, तो पुनर्योजित कार्मिक की सेवाये बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है। इस सम्बन्ध में पुनर्योजित कार्मिक द्वारा किया गया कोई भी दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

(3) किसी भी वाद–विवाद के सबंध में अंतिम निर्णय उपाध्यक्ष, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण का होगा, जो सर्वमान्य होगा। पुनर्योजन के आधार पर स्थाईकरण हेतु संबंधित कार्मिक द्वारा कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा एवं इस संबंध में कोई वाद किसी भी न्यायालय में दायर नहीं किया जाएगा।

(4) उक्त पुनर्योजन मात्र मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण कार्यालय हेतु एवं अस्थानांतरणीय होगा।

(5) पुनर्योजन हेतु विभागीय स्तर पर उपाध्यक्ष मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के द्वारा एक विभागीय समिति गठित की जाएगी, जोकि साक्षात्कार एवं तकनीकी योग्यता के सबंध में अपनी अनुशंसा की आख्या, उपाध्यक्ष मु०वि०प्रा० के समक्ष प्रस्तुत करेगी। पुनर्योजन के संबंध में अंतिम निर्णय उपाध्यक्ष, मु०वि०प्रा० का होगा।

(6) उक्त पुनर्योजित कार्मिको को वार्षिक रूप से मात्र 12 आकस्मिक अवकाश सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत देय होंगे तथा एक साथ 02 से ज्यादा आकस्मिक अवकाश देय नहीं होंगे।

(7) आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के अवकाश का दावा मान्य नहीं होगा आपातकालीन परिस्थितियों में अवकाश प्रदान करने की शक्ति उपाध्यक्ष, मु०वि० प्रा०के अधिकार में निहित होगी।

(8) पुनर्योजन अवधि के दौरान अप्रत्याशित दुर्घटना अथवा मृत्यु की दशा में प्राधिकरण की किसी भी प्रकार की कोई देयता नहीं होगी, न ही प्रश्नगत कार्मिक के मृतक आश्रित द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा प्रस्तुत किया जाएगा।

(9) पुनर्योजित किए गए कार्मिक को अनावश्यकता के दृष्टिगत, दुर्व्यवहार अथवा गुण–दोष के आधार पर उपाध्यक्ष, मु०वि० प्रा० द्वारा किसी भी समय एवं बिना किसी कारण/पूर्व सूचना के सेवा से हटाया जा सकता है, जिसके सबंध में कोई दावा मान्य नहीं होगा।

(10) पुनर्योजित किए गए कार्मिक को समय–समय पर उपाध्यक्ष, मु०वि०प्रा० सचिव अथवा अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए कार्यों का सम्पूर्ण निष्ठा एव अनुशासन के साथ निर्वहन करना होगा तथा प्राधिकरण कार्यालय की गोपनीयता बनाये रखनी होगी।

(11) सक्षम स्तर से पुनर्योजन आदेश निर्गत होने के उपरांत संबंधित द्वारा 10 कार्य दिवस के अंतर्गत कार्यभार ग्रहण करना होगा। आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर, यदि उक्त समय अवधि के अंतर्गत कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो संबंधित का पुनर्योजन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

(12) आवेदन के समय संबंधित कार्मिक को संपूर्ण आवश्यक प्रपत्र यथा सरकारी विभाग से सेवानिवृत्ति एवं आयु की पुष्टि का प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की छाया प्रति, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की छायाप्रति, दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स के साथ प्रस्तुत करने होंगे तथा पुनर्योजन आदेश के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करते समय उपरोक्त प्रपत्रों को मूल रूप से प्रस्तुत करना होगा।

(13) 65 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्त कर्मी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। किसी भी दशा में 65 वर्ष से अधिक आयु के कार्मिको को पुनर्योजित नहीं किया जायेगा।

(14) सेवानिवृत्ति के पश्चात पूर्णतः स्वस्थ्य सेवानिवृत्त कर्मी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(15) आवेदक को अपने सेवाकाल की अवधि में शासकीय कार्यो की गुणवत्ता के कारण सरकारी/शासकीय अथवा अपने विभाग द्वारा कोई प्रशंसा पत्रिका/ऑनेरेरियम/विशेष पदोन्नति प्रदान की गयी हो का प्रमाण पत्र, यदि हो, तो वह भी उपलब्ध कराना होगा।

(16) सेवानिवृत्ति कार्मिक द्वारा आवेदन के साथ 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सेवानिवृत्त से पूर्व विगत 10 वर्षो में उनके विरूद्ध किसी भी जाँच/विभागीय कार्यवाही में दण्डात्मक कार्यवाही (वृहद दण्ड/लघु दण्ड/सत्यनिष्ठा न प्रमाणित किया जाना) शासकीय अथवा विभागीय स्तर पर न हुई हो तथा कोई दण्ड प्राप्त न किया हो। साथ ही उक्त स्टाम्प पर यह भी घोषणा करनी होगी कि आवेदक का कोई सगा–सम्बन्धी पूर्व से मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण में स्थाई/अस्थाई/दैनिक वेतन/मैनपावर आऊटसोर्सिंग के माध्यम से किसी भी पद पर कार्यरत नहीं है।

(17) साक्षात्कार के समय आवेदक को समस्त सेवाभिलेखों की 03 स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ उपलब्ध करानी होगी।

(18) पुनर्योजन अवधि में यदि पुनर्योजित कार्मिक द्वारा कोई आपराधिक अथवा भ्रष्टाचार सम्बन्धी घटना को अंजाम दिया जाता है अथवा कोई आपत्तिजनक कृत्य किया जाना संज्ञान में आता है तो उस कार्मिक को तत्काल प्रभाव से बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से हटाया जा सकता है, इसके सम्बन्ध में कोई दावा मान्य नहीं होगा।

नोट– चयन प्रक्रिया हेतु वांछित प्रपत्रों का संक्षिप्त विवरण–

(क) आवेदन के समय– आवेदन पत्र तथा क्रमांक 12, 15 एवं 16 के क्रम में वांछित प्रपत्र (छायाप्रति)।

(ख) साक्षात्कार के समय– क्रमांक 17 के क्रम में वांछित प्रपत्र।

(ग) पुनर्योजन आदेश के उपरान्त– क्रमांक 12, 14, 15, 16 एवं 17 के क्रम में मूल प्रपत्र।